न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00400 (280/2018) 223 आरटीएक्ट

कुणाल आयु 6 वर्ष पुत्र जगदीश नाबालिग कुदरती वली माता केसर पत्नी जगदीश जाति सोनी निवासी वार्ड नं. 9, ढाब के पास रावतसर तहसील रावतसर। —अपीलाण्ट

बनाम

1. कालूराम पुत्र बुधराम जाति सोनी निवासी डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. पवन कुमार पुत्र बुधराम जाति सोनी निवासी डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानढ।
3. जगदीश पुत्र बुधराम जाति सोनी निवासी डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। —रेस्पोडेंट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2018 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र. सं. 17/2008 बजमवासी कालूराम बनाम जगदीश

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2
श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3

निर्णय दिनांक— 15.07.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रस्तुत किया जिसमें वादग्रस्त भूमि को वादी व प्रतिवादी को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित करने का अनुतोष मांगा। उभयपक्षों ने राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.03.2018 के द्वारा मुताबिक राजीनामा वाद को डिक्री किया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायायल का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री गलत, विधि विरूद्ध, तथा न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है जिसमे अपीलाण्ट के हितों की और गौर न कर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली वास्ते तलबी 23.03.2018 नियत की गई थी लेकिन दिनाक 27.02.2018 को पेशी में लेकर रेस्पोडेण्ट के राजीनामा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पेश करने पर तलबी से पूर्व ही रेस्पोडेण्ट ने मिली भगत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाए हैं। किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य नहीं लिए गये। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें अपीलाण्ट का हक हिस्सा है। इसलिए अपीलाण्ट एक आवश्यक पक्षकार था जिसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। माता व पिता के मध्य आपसी मनमुटाव होने के कारण अपीलाण्ट की माता द्वारा अपीलाण्ट के पिता व अन्य के विरूद्ध घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम अपीलाण्ट के पिता के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। इस रंजिशवश अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया। विचारण न्यायालय में राजीनामा में जो मकान रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के हिस्से में आने के कथन किये हैं वह मकान अपीलाण्ट व अपीलाण्ट की माता के कब्जा काश्त में है तथा अपीलाण्ट अपने हक व हिस्से की चक 12 डीबीएल की प्रश्नगत भूमि पर काबिज है परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 3 राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का फायदा उठाकर मिलीभगत करके अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाया है। इससे अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति हुई है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में है। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे तथा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2014 पेज 74, आरआरडी 1998 पेज 22, आरआरडी 2011 पेज 56, आरआरडी 97 पेज 68, डीएनजे 2015 सुप्रिम कोर्ट पेज 1018, डीएनजे 2013 पेज 1470 राज0 एचसी के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति नही है बल्कि पिता से वसीयत में प्राप्त भूमि रेस्पोडेण्ट की स्वअर्जित सम्पति मानी जावेगी। अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं उसे धारा 96 सीपीसी में अपील प्रस्तुत करने कोई अधिकार नहीं है। प्रश्नगत भूमि बुधराम की थी जो रेस्पोडेण्ट को वसीयत में प्राप्त हुई है। वसीयत को सिविल कोर्ट मे चुनौती दी गई थी जिसमे भूमि का बुधराम की स्व0 अर्जित भूमि है। 2015 में फैमली सैटलमेंट हुआ था जिसका पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। अतः अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया अपीलाण्ट अपील में क्लीन हैण्ड नहीं आया है। अपीलाण्ट ने एक और दावा ग्राम कोर्ट में पेश किया था जिसकी अपीलाण्ट को पूर्व से जानकारी है। विचारण न्यायालय का अपीलधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. धारा–96 सीपीसी एवं पत्रावली में अंकित तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

8. अपीलाण्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था इसलिए उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था इसलिए अपील में हुए विलम्ब को कण्डोन करते हुए अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. जहां तक गुणागुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद घोषणा का पेश हुआ जो राजीनामा के आधार पर डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा यह अपील बतौर तृतीय पक्ष जरिये कुरतीवली माता इस आधार पर पेश किया है कि विवादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें उसका हक हिस्सा है और उसे पक्षकार बनाये बिना दावा डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के डिक्री करने का आधार पारिवारिक सहमति बताया और उस सहमति के सभी पक्षकारारों द्वारा इस वाद में प्रस्तुत राजीनामा में स्वीकार करते हुए दावे को डिक्री कराया है। अपीलाण्ट की ओर से आपत्ति की गई है कि पैतृक संपति में जो घरू बंटवारा किया गया है वो पंजिकृत नहीं है और उसके द्वारा अपीलाण्ट के हक को पैतृक भूमि होने के कारण खत्म नहीं किया जा सकता। विवादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट के दादा बुधराम की भूमि थी जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 के पक्ष में वसीयत कर दी। वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2, 3 के पक्ष में अंकित की गई। इस वसीयत को सिविल न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर सिविल न्यायायल द्वारा वसीयत को सही माना गया। सिविल न्यायायल द्वारा विवादग्रस्त भूमि पैतृक है अथवा नहीं इस मुद्दे पर विवेचन करते हुए विवादग्रस्त भूमि को पैतृक संपति नहीं माना है बल्कि उसे स्वअर्जित सम्पति माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में माननीय सिविल न्यायायल के निर्णय की प्रति संलग्न है। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार वसीयत से प्राप्त सम्पति स्वअर्जित मानी जायेगी। स्वअर्जित सपंति के कारण वसीयतकर्ता को पूर्ण अधिकार हैं। वसीयत प्राप्तकर्ता को तदनुसार पूर्ण अधिकार प्राप्त होते है। वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 के पक्ष में भूमि अंतरित हुई है। सिविल न्यायालय द्वारा भूमि को पैतृक नहीं माना है और अपीलाण्ट द्वारा भी अपील में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे भूमि पैतृक होना साबित हो। ऐसी स्थिति में में अपीलाण्ट के पिता रेस्पोडेण्ट संख्या 3 जगदीश की स्वअर्जित भूमि है जिसके संबंध में उसे भी पूर्ण अधिकार प्राप्त होते है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 आपस में सगे भाई हैं जिन्होंने आपसी पारिवारिक सहमति/घरू बंटवारानामा का हवाला देते हुए विवादग्रस्त भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम करने की सहमति देते हुए अपना 1/3 हिस्सा कलमजन करने का राजीनामा पेश किया है। इसी आधार पे दावा डिक्री हुआ है। राजीनामा में घरू बंटवारे का हवाला दिया गया है जो इन्हीं रेस्पोडेण्ट सं. 1 ता 3 के मध्य हुआ है। हालांकि ये पंजीकृत नही है और ये मुख्य आधार भी नही है। बल्कि एक ही परिवार के सदस्यों/भाईयों जो कि भूमि में रिकार्डेड सह खातेदार भी हैं के मध्य सहमति/राजीनामा के आधार पर अपने हक को दूसरे के पक्ष में छोड़ा है जिसके संबंध में इन तीनों के मध्य कोई विवाद आज भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त इस प्रकरण की परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। विवादग्रस्त भूमि पैतृक नहीं मानी जा संकती बल्कि स्वअर्जित भमि की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्रेणी में है। इसके संबंध में अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलाण्ट ने जिन कानूनी दृष्टान्तों का हवाला दिया है वे इस प्रकरण में चस्पा नही होते हैं। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2018 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

15/7/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास मूल चन्द आर0ए0एस0

अपील संख्या 2018/00400 (280/2018) 223 आरटीएक्ट

कुणाल आयु 6 वर्ष पुत्र जगदीश नाबालिग कुदरती वली माता केसर पत्नी जगदीश जाति सोनी निवासी वार्ड नं. 9, ढाब के पास रावतसर तहसील रावतसर। —अपीलाण्ट

बनाम

1. कालूराम पुत्र बुधराम जाति सोनी निवासी डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. पवन कुमार पुत्र बुधराम जाति सोनी निवासी डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानढ।
3. जगदीश पुत्र बुधराम जाति सोनी निवासी डबली कला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। —रेस्पोडेंट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2018 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी प्र. सं. 17/2008 बअनवाली कालूराम बनाम जगदीश

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2, श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्डाधिकारी एवं सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा के निर्णय दिनांक 17.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 15.07.2019 को जारी की गई।

(मूलचंद) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official